Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली–110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी/16/2009-एमपीलैडस

Dated 02.09.2009

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड योजना के अंतर्गत लगाए गए हैंडपम्पों, जो काम नहीं कर रहे हैं, के स्थान पर नई बोरिंग ।

महोदय,

हमारे ध्यान में आया है कि सांसदों की सिफारिशों पर एमपीलैड्स निधि से लगाए गए हैंडपम्प भूमि का जलस्तर (वाटर टेबल) नीचे चले जाने के कारण अनेक स्थानों पर काम नहीं कर रहे हैं । देश के अनेक हिस्सों में खराब मानसून और बारिश कम होने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है । लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जो हैंडपम्प काम नहीं कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल हो सकने वाले हिस्सों/कलपुर्जों का प्रयोग करते हुए, काम न करने वाले मौजूदा हैंडपम्पों के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन **नई बोरिंग** करने की अनुमति दी जाएः-

- ऐसी नई बोरिंग की अनुमति तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार ही दी जाए ।
- काम न करने वाले हैंडपंपों के इस्तेमाल हो सकने वाले सभी हिस्सों/कलपुर्जों का नई बोरिंग में अवश्य इस्तेमाल किया जाए ।
- ऐसी नई बोरिंग केवल पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए ही होगी और पानी किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजन जैसे खेती कार्य, औद्योगिक, व्यापारिक, बागवानी आदि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ।
- ऐसी नई बोरिंग की अनुमति एक सामान्य मामला न समझकर केवल जरूरतमंद मामलों में ही दी जाए तथा इससे किसी भी स्थिति में भूमि के जल-स्तर (वाटर टेबल) को नुकसान नहीं होना चाहिए ।
- ऐसी नई बोरिंग के प्रस्तावों को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी अन्य शर्तें पूरी करनी चाहिएं ।

2. इसे राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(किरन वासुदेवा)
अवर सचिव (एमपीलैड्स)
011-23743291

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एमपीलैड्स से जुड़े नोडल विभागों के सचिव ।
3. विशेष कार्य अधिकारी, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. अपर निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के निजी सचिव को सूचनार्थ ।

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

No. C/16/2009-MPLADS

Dated **02.09.2009**

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

Subject: New borings in place of hand pumps installed under MPLAD Scheme which have become non-functional - regarding.

Sir,

It has come to our notice that the hand pumps installed on the recommendations of MPs from MPLADS funds have become defunct in a number of places due to lowering of the water table. The situation has further worsened due to failure of monsoon and deficient rainfall in many parts of the country. To mitigate the hardships faced by the people, it has been decided to allow **new borings** in lieu of the existing non-functional hand pumps using the reusable components/parts of the non-functional hand pumps subject to the following conditions :-

- Such new borings may be allowed subject to techno-economic feasibility and as per laid-down procedures of the State/UT concerned.
- All usable components/parts of the defunct hand pumps must be used in the new borings.
- Such new borings should be only for water required for drinking and household purposes and in no circumstances should water be diverted for any purpose such as agricultural, industrial, commercial, horticultural, etc.

- Such new borings may be allowed only in need-based cases and not as a matter of routine and it should in no case be detrimental to the water table.
- The proposals for such new borings should satisfy all other conditions stipulated in the Guidelines on MPLADS.

2. This issues with the approval of MOS (IC), Statistics & Programme Implementation.

Yours faithfully,

(Kiran Vasudeva)
Under Secretary (MPLADS)
011-23743291

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha)
2. The Secretaries of Nodal Departments dealing with MPLADS of all States/UTs.
3. Officer on Special Duty, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
4. Additional Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. PS to MOS (IC) Statistics & Programme Implementation, for information.